"अ.पि.वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना

दिशा निर्देश

1. **उद्‌देश्यः-** इस योजना का उद्‌देश्य लक्षित समूह अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्गों की शैक्षिक तथा सामाजिक - आर्थिक दशा को सुधारने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना है ताकि वे अपने आय सृजक कार्यकलापों को शुरू करने अथवा किसी क्षेत्र अथवा अन्य में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें ।

यह महसूस किया गया है कि मैनुअल तरीके से सहायता अनुदान संस्वीकृत करने की प्रक्रिया जटिल है तथा यह एनजीओ की भागीदारी को हतोत्साहित करती है । सिद्‌धांत यह है कि अच्छे स्वैच्छिक संगठनों को न केवल सहायता प्रदान की जानी चाहिए बल्कि उनकी क्षमता का निर्माण भी करना चाहिए। यह 1988 से इस योजना के निर्माण के पीछे मार्गदर्शी भावना रही है ।

2. **कार्यक्षेत्र और पात्रता**

2.1 इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले पात्र स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगीः-

(क) संगठन, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए; अथवा तत्समय लागू किसी विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास; अथवा कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत अनुज्ञप्त पूर्त कंपनी; अथवा अपना स्वयं का कानूनी दर्जा रखने वाला कोई अन्य सार्वजनिक निकाय होना चाहिए ।

(ख) इसका उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा और विधिवत गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो ।

(ग) संगठन तथा कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्‌देश्य इस योजना के लिए विधिपूर्वक निर्धारित लक्ष्यों और उद्‌देश्यों के समान ही हो ।

(घ) संगठन की शुरूआत तथा संचालन लोकतांत्रिक सिद्‌धांतों पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के इसके सदस्यों द्‌वारा ही किया जाना चाहिए; तथा

(ङ) संगठन, इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने के समय कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए । तथापि, अपवादात्मक मामलों में लिखित में कारण स्पष्ट करते हुए सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्‌वारा छूट दी जा सकती है ।

(च) संगठन का एक बैंक खाता होना चाहिए तथा यह पिछले तीन वर्षों से इसी संगठन के नाम पर उपयोग में लाया जा रहा हो ।

(छ) यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा लाभ के लिए संचालित नहीं होना चाहिए ।

उपर्युक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त, वीओ/एनजीओ का चयन करते समय निम्नलिखित पात्रता को भी ध्यान में रखना होगाः-

(क) संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव

(ख) संगठन द्वारा प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति योजना आयोग द्वारा अभिज्ञात पिछड़े जिलों में होनी चाहिए ।

2.2 गैर सरकारी संगठन/संगठन केवल निम्नलिखित अ.पि.वर्गों में से चयन करेंगेः-

(क) वे जो कम से कम अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में अधिसूचित सूची, अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूची की अधिसूचित सूची के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हो, के पात्र हैं ।

(ख) वे लाभार्थी, जिनकी अपनी आय सहित सभी स्रोतों से माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक नहीं हो, भी इस योजना के तहत हितलाभ की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे ।

3. शामिल किए जाने वाले कार्यकलापों के प्रकारः

इस योजना के तहत सहायता राशि केंद्रों की स्थापना करने, सेवाओं को विकसित करने एवं प्रदान करने के लिए अनुमत होगी, जिससे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अपने कौशल विकास के स्तरोन्नयन से स्वरोजगार अथवा वेतन रोजगार के माध्यम से आय सृजक कार्यकलाप शुरू कर सकेंगे।

इस योजना के तहत जिन परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान राशि की प्रदायगी पर विचार किया जा सकता है, की सांकेतिक सूची **अनुबंध-I** में दी गई है । यह सिर्फ एक प्रारंभिक सूची है और कौशल स्तरोन्नयन हेतु सहायता अनुदान के लिए कोई भी परियोजना आरंभ की जा सकती है । परियोजना की प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन यह राज्य समिति द्वारा विधिवत संस्तुत मांग, पर निर्भर करेगा । वित्तीय मानकों में दर्शाई गई लाभार्थियों की संख्या सिर्फ परिकलन के प्रयोजनार्थ है। कौशल स्तरोन्नयन से संबंधित किसी भी योजना को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

3. आवेदनः

3.1 आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः

संबंधित राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत संगठन इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं। पृथक गैर सरकारी संगठनों के मामले में गैर सरकारी संगठन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से

लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा तथा उसके बाद राज्य निदेशालय तथा सचिवालय द्वारा भी इसे अग्रेषित किए जाने तक की इस प्रक्रिया का अनुसरण ऑनलाइन करना है । ***इस कार्यक्रम में पारदर्शिता, प्रभावकारिता लाने एवं सशक्त गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है ।*** आवेदन का मंत्रालय में ऑनलाइन निपटान किया जाएगा । पात्र गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे, मैनुअल तथा अन्य विस्तृत जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustic.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन प्रत्येक तिमाही के आखिरी महीने में तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

3.2 राज्य समितियों का गठन और भूमिका

क. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रधान सचिव/सचिव, राज्य समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक बहुविधात्मक राज्य समिति का गठन करेंगे ।

ख. समय-समय पर मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित कार्यविधि/दिशा-निर्देशों के अनुसार और क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों एवं कार्य-निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

ग. राज्यों से यह आशा भी की जाती है कि वे, आवश्यकतानुसार निरीक्षण दौरे करके परियोजना के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की आवश्यकता और वित्त-पोषण की व्यवहार्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें ।

4. सहायता की राशि

4.1 प्रत्येक मामले में सहायता की राशि का निर्धारण मामले की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। तथापि, भारत सरकार किसी अनुमोदित परियोजना की किसी एक अथवा सभी मदों पर अनुमोदित व्यय की 90% राशि का वहन कर सकती है। शेष व्यय राशि का वहन संबंधित स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा।

4.2 एनबीसीएफडीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य संगठनों में मामले में, कौशल विकास कार्यक्रम के लिए योजना के तहत सहायता अनुदान की राशि कुल परियोजना लागत की 30% राशि सीमित तक की जाएगी।

4.3 कार्यक्रम के किसी एक घटक अर्थात् एनजीओ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में आने वाली लागत व्यय सहित परियोजना के प्रतिपादन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु परामर्शदाताओं की तैनाती इत्यादि को स्वयं निर्वहन करने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मामले में, पूर्ण लागत का वहन योजना के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा।

4.4 पहले से अनुमत अर्थात् जारी परियोजनाओं के मामले में, अनुमानित व्यय की 75% राशि तक की पहली किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र जारी कर दी जाएगीः-

(i) अपेक्षित दस्तावेजों सहित विहित प्रपत्र में एक आवेदन,
(ii) जीएफआर-19क के तहत विहित प्रपत्र में पिछली बार जारी अनुदान राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र। पूर्ववर्ती वर्ष का लेखापरीक्षित/गैर-लेखा परीक्षित लेखा, जिसमें संस्वीकृत अनुदान की तुलना में वहन किया गया व्यय दर्शाया गया हो;
(iii) उस वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन जिसके लिए सहायता अनुदान अपेक्षित है; तथा
(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान परियोजनाओं का निष्पादन, सांख्यिकी आंकड़ों सहित ।

4.5 दूसरी किस्त लेखों की लेखा परीक्षित विवरण, उपयोग प्रमाण-पत्र सहित तथा विहित एजेंसी से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर जारी की जाएगी ।

5. सहायता राशि जारी करने के मापदंडः

5.1 एक से अधिक राज्यों में विद्यमान तथा एक से अधिक शाखा वाले गैर-सरकारी संगठन अपनी प्रत्येक शाखा के लिए प्रशासनिक ऊपरीशीर्षों पर व्यय को वहन करने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जिसमें इसकी विभिन्न शाखाओं का पर्यवेक्षण् एवं निगरानी शामिल है । प्रत्येक शाखा पृथक रूप से अथवा मूल निकाय के तहत आवेदन कर सकती है ।

5.2 इस योजना के तहत, स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/सरकारी संगठनों के पक्ष में अनुदानों की संस्वीकृति विहित वित्तीय मानकों, इस मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित एवं समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों के अध्यधीन की जाएगी । इसके अलावा, योजना की संस्वीकृत एवं इसे अनुदान जारी करते समय, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे -

क. सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् मंत्रालय ऑनलाइन पात्र राशि की संस्वीकृति देगा और संगठन के बैंक अकांउट में निधि का अंतरण करेगा, जो किसी गैर-सरकारी संगठन के मामले में इसके अध्यक्ष एवं सचिव तथा सरकारी संगठनों के मामले में प्रबंध निदेशक के संयुक्त संचालन के अंतर्गत होगा ।

ख. अनुदान राशि की संस्वीकृति सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, समय समय पर यथा संशोधित, के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी ।

ग. किसी विशिष्ट श्रेणी की योजना के लिए, स्वैच्छिक संगठन/ गैर-सरकारी संगठन को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि सरकार द्वारा परियोजना की श्रेणी विशेष के लिए निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत सीमित होगी, जो समय-समय पर संशोधित होगी ।

6. व्यय तथा लेखेः

6.1 संगठन/स्वैच्छिक संगठनों को अनुमोदित मदों पर व्यय के संबंध में व्यवहारिक रूप से कमी बरतनी चाहिए ।

6.2 संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को इस योजना के तहत प्राप्त हुई अनुदान राशि के अलग-अलग लेखे रखने होंगे । ये केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रति नियुक्त किए गए किसी भी अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए सौंपे जाने चाहिए । इनकी जांच भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा भी की जा सकती है ।

6.3 संगठन/स्वैच्छिक संगठन जीएफआर के तहत निर्धारित प्रपत्र में परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें स्थायी मूल्य की सभी परिसंपत्तियां और मशीनरी तथा उपकरण जिनका जीवनकाल 5 वर्षों से कम न हो तथा जिनका मूल्य 10000 रु अथवा इससे अधिक हो (प्रत्येक मद) संलग्न की जाएगी ।

6.4 यदि मदों पर वास्तविक व्यय जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, उस राशि से कम रह जाता है जिस पर अनुदान राशि निर्धारित की गई थी, उस स्थिति में संगठन को अनुदान की अप्रयुक्त राशि भारत सरकार को लौटानी होगी अथवा अनुदान राशि की अप्रयुक्त राशि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमत राशि के प्रति इसका समायोजन किया जाएगा ।

6.5 वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद, सहायता प्राप्त संगठन/स्वैच्छिक संगठन किए गए सभी खर्चों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लेखों के लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

6.6 यदि किसी संगठन ने इसी प्रयोजनार्थ किसी अन्य सरकारी स्रोत से पहले ही से सहायता अनुदान राशि प्राप्त कर ली है अथवा इसे प्राप्त करने की आशा है जिसके लिए इस योजना के तहत आवेदन किया जा रहा है, केंद्रीय सहायता अनुदान राशि का एक निर्धारण सामान्यतः किसी ऐसे सरकारी स्रोत से प्राप्त हुई सहायता अनुदान राशि को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

6.7 किसी ऐसे मामले में सहायता अनुदान की कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी जहां व्यवहारिक रूप से कोई संदेह अथवा मिथ्याचार का कोई सुझाव हो, जब तक कि संबंधित संगठन को दोषों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। सरकार को किसी भी उस सहायता प्राप्त संगठन में अपने प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार है, अपने वार्षिक आवर्ती व्यय के 50% से अधिक हिस्से के लिए केंद्र सरकार की सहायता अनुदान पर आश्रित है।

6.8 संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इसके विवेकानुसार जांच के अध्यधीन होंगे ।

6.9 परियोजनाओं के लिए वित्तीय मानदंड जो योजना के तहत निर्दिष्ट न हों, उन पर मंत्रालय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

6.10 कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त उन कंपनियों को जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हों, अनुदान राशि निर्मुक्त करने हेतु वित्तीय मानदंड पर निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

7. अन्य विविध शर्तेः

7.1 किसी भी लाभार्थी से कोई केपिटेशन अथवा ऐसी ही फीस अथवा दान नहीं लिया जाएगा ।

7.2 यदि बाद में यह पाया जाता है कि संगठन ने अन्य सरकारी स्रोतों से सहायता अनुदान के बारे में कोई सूचना नहीं दी अथवा इसे छिपाया था अथवा अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत सूचना प्रस्तुत की थी, भारत सरकार की सहायता अनुदान राशि को या तो रद्द कर दिया जाएगा अथवा इसमे कटौती कर दी जाएगी तथा संगठन को इसके द्वारा पहले से ही ली गई अनुदान राशि को इस पर प्रभार्य ब्याज के साथ वापिस करने के लिए कहा जाएगा ।

7.3 गैर सरकारी संगठन के लिए यह अनिवार्य है कि वे मतदाता पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करते हुए लाभार्थियों की सूची आनलाइन प्रस्तुत करें । नाम, पता आदि जैसे ब्यौरे भारत सरकार/चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अनुसार होगा ।

7.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने वाली एजेंसियों को वाणिज्यिक बैंकों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों अथवा अन्य किसी एजेंसी से ऋण एवं सब्सिडी की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रत्येक सफल प्रशिक्षुक अपना नया कार्य आरंभ करने में समर्थ हो सके।

7.5 संगठन/स्वैच्छिक संगठन सरकारी अधिकारी के आकस्मिक दौरे और योजना के कार्यकरण में सुधार हेतु उनके सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत होना चाहिए ।

7.6 एजेंसी के पास सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्वीकृत सहायता अनुदान से खरीदे गए किसी उपस्कर तथा सम्पत्ति के निपटान का प्राधिकार नहीं होगा । संगठन द्वारा योजना के जारी नहीं रखने अथवा समाप्त करने की स्थिति में, ऐसे उपस्कर तथा सम्पत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास होगा। सरकार के अनुदान से पूर्णतः अथवा अंशतः अर्जित सभी आस्तियों (पूंजी स्वरूप की सम्पत्ति जिसका मूल्य 5000 रु से अधिक हो) का लेखापरीक्षित रिकार्ड भी संगठन द्वारा रखा जाएगा ।

7.7 संगठन इन समुदायों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में प्रदत्त आरक्षण के अनुरूप पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण करेगा यदि वे सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए संविदा आधार पर कर्मियों का चयन कर रहे हैं ।

7.8 योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त मुख्य अनुदेशक/अनुदेशक/मास्टर क्राफ्टसमेन को संबंधित व्यवसाय में पर्याप्त रूप से और वरीय रूप से सरकार द्वारा इस प्रकार के संस्थानों में अपनाए गए पैटर्न पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए ।

7.9 भारत सरकार जब कभी आवश्यक हो, उक्त शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है । केंद्र सरकार के संगठन जैसे एनबीसीएफडीसी अपनी राज्य स्तरीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आगे अनुदान अंतरित नहीं करेंगे । यदि एनबीसीएफडीसी राज्य एजेंसियों के माध्यम से कोई कौशल विकास प्रशिक्षण करना चाहता है, परियोजना की 50% राशि सर्वप्रथम एनबीसीएफडीसी के पास जमा करवानी होगी । एनबीसीएफडीसी जैसे निगम कौशल विकास पहलों के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे ।

7.10 प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग द्वारा यथा अधिदेशित एनसीवीटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद) प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है ।

7.11 योजना के माध्यम से अर्जित वेतन/स्वरोजगार की अवस्थिति का ब्यौरा संगठन की वेबसाइट पर रखना होगा । लाभार्थियों का ट्रेक रखना अनिवार्य है तथा संगठन आगामी वर्ष तभी पात्र होगा जब न्यूनतम 70% प्रशिक्षु रोजगार प्राप्त करें ।

7.12 एजेंसी द्वारा पाठ्यक्रम/विधा का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रदान किया गया कौशल विशिष्ट क्षेत्र की जॉब संबंधी मांग के अनुरूप हो । प्रशिक्षण एवं नियोज्यता की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मंत्रालय को तिमाही सर्वेक्षण/रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी ।

7.13 विवाद की स्थिति में, मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

7.14 इस योजना की समीक्षा मंत्रालय में इस विषय से सम्बद्ध संयुक्त सचिव के स्तर पर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में की जाएगी ताकि इसमें और पाठ्यक्रम शामिल किए जा सकें और अ.पि.व. जनसंख्या विशेष रूप् से महिलाओं सहित युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके ।

अनुबंध-I

निर्देशात्मक कार्यकलापों की सूची

1.	बढ़ईगिरी
2.	कंप्यूटर शिक्षा
3.	शिल्प केन्द्र
4.	दरी निर्माण प्रशिक्षण
5.	डीजल पम्प सेट मरम्मत
6.	वैद्युत प्रशिक्षण
7.	फल परिरक्षण प्रशिक्षण
8.	रत्न तराशी
9.	वेल्डिंग एवं फीटर प्रशिक्षण
10.	फोटोग्राफी
11.	नलसाजी (प्लमिंग)
12.	प्रिंटिंग, कम्पोजिंग एवं बुक बाइंडिंग
13.	स्कूटर, मोटरसाइकिल एवं ऑटोरिक्शा मरम्मत
14.	कताई एवं बुनाई
15.	टंकण एवं आशुलेखन
16.	बांधनू की रंगाई (टाई एण्ड डाई) प्रशिक्षण
17.	चर्म कला
18.	डेंटिंग एवं स्प्रे पेंटिंग
19.	टीवी, वीसीआर एवं रेडियो मरम्मत